**विश्व न्याय मन्दिर**

**सचिवालय प्रभाग**

17 मई, 2009

सभी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं को

प्रिय बहाई मित्रगण,

विश्व न्याय मन्दिर ने सन् 2008 के अपने रिज़वान संदेश में पाँच वर्षीय योजना के तीन प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक सम्वाद में आई गति के बढ़ते हुये प्रभाव की चर्चा की थी। इस बढ़ती हुई गतिशीलता से उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा का आयोजन भी अप्रभावित नहीं रहा है। व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली प्रार्थनाओं और बराबर आयोजित की जाने वाली प्रार्थना सभाओं से जिस भक्तिभाव का संचार हुआ है उससे सब जगह उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा का भक्तिपरक भाग समृद्ध हुआ है, सुन्दर बन पड़ा है। प्रशासनिक भाग प्रभुधर्म के विकास की रिपोर्ट से प्रेरित होता है। साथ ही, नये अनुयायी तथा लम्बे समय से बहाई कार्यों के प्रति समर्पित बहाइयों के एक मिले-जुले समुदाय से प्राप्त दृष्टि और सुझावों से प्रशासनिक भाग ओत-प्रोत होता है। सामाजिक भाग में औपचारिकताओं के आगे, अनुयायियों के आनन्दमय मिलन और एक समान उद्देश्य के प्रति समर्पित अपने सहयोगियों के साथ बिताये जाने वाले पल होते हैं, जिनकी आपसी बातचीत आध्यात्मिक विषयों के गिर्द हुआ करती है।

योजना के दौरान उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा के सम्बन्ध में पूछे गये सवालों के उत्तर में विश्व न्याय मन्दिर ने वर्णन किया है कि किस प्रकार समाज के हर क्षेत्र और पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लगातार विशाल हो रहे समुदाय के बीच कुछ मौलिक सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिये। चूँकि यह वर्णन सभी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के लिये उपयोगी होगा इसलिये हमसे कहा गया है कि हम निम्नांकित बातें आपको लिखें।

**शहरी केन्द्रों में उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा का विभिन्न स्थानों पर आयोजन**

जिन शहरी क्षेत्रों में बहाइयों की अच्छी खासी संख्या हो वहाँ उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा को विभिन्न स्थानों पर मनाया जाना अब आवश्यक प्रतीत होता है, इसे प्रभुधर्म के विकास के एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिये जो स्थानीय समुदाय के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को रेखांकित करता है। लेकिन इस बात का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिये कि अगर पूरे शहर में अनुयायियों की संख्या थोड़ी है तो विभिन्न स्थानों पर सहभोज मनाने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिये। किसी भी स्थानीय आध्यात्मिक सभा को अपने लिये यह बाध्यकारी नहीं समझना चाहिये कि पूरे समुदाय के लिये सहभोज सभा आयोजित किये जाने की प्रथा को जारी रखना आवश्यक है। इस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत तब ही होती है जब समय और सुविधाओं के अभाव में सहभोज सभा के तीनों भाग का आयोजन संतोषप्रद ढंग से एक ही स्थान पर नहीं किया जा सकता, खासतौर से जब सामुदायिक मामलों पर परामर्श समुचित ढंग से नहीं हो पाता। सहभोज सभा के विकेन्द्रीकरण के अच्छे परिणाम के अनुभव सामने आये हैं, जो प्रतिभागिता की गुणवत्ता, आपसी प्रेम और सहृदयता की अधिकता और विकास की प्रक्रिया से जोड़ कर देखे गये हैं। हालांकि बड़ी संख्या में एकत्र हुये लोगों के कारण पैदा होने वाले उत्साह की कमी कुछ लोगों को नजर आ सकती है, लेकिन इस प्रकार की बड़ी संख्या में उपस्थिति को अन्य अवसरों पर देखा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में हमसे कहा गया है कि हम आपका ध्यान विश्व न्याय मन्दिर के 27 दिसम्बर 2005 के संदेश की ओर आकर्षित करें, जिसमें कहा गया है कि जब दुनिया भर में विकास की प्रक्रिया गति पकड़ रही है तब यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शहरी केन्द्र को छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाये, शायद पड़ोसी क्षेत्रों के बीच सीमित कर देने की जरूरत हो, ताकि योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहूलियत हो। इस प्रकार छोटे-छोटे क्षेत्र न केवल विभिन्न गतिविधियों के केन्द्र बन जायेंगे, अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा भी आसानी से आयोजित की जा सकेगी। इस प्रकार पड़ोसी क्षेत्रों के साथ उन्नीस दिवसीय सहभोज सभायें दुनिया के अनेक भागों में आयोजित भी की जाने लगी हैं।

छोटे-छोटे क्षेत्रों के लिये उन्नीस दिवसीय सहभोज सभाओं के आयोजन में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। दुनिया के अनेक नगरों में स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को इस बात के प्रति बराबर सतर्क रहना चाहिये कि अन्य समुदायों में जिस आधार पर लोग बंट जाते हैं वह आधार बहाई समुदाय में न पनपने पाये। आध्यात्मिक सभाओं को बराबर यह ध्यान रखना चाहिये कि नये अनुयायियों के बीच प्रभुधर्म के विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जिम्मेदारी लेने की भावना जगे।

उन्नीस दिवसीय सहभोज सभाओं के विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित निर्णय लेते समय स्थानीय आध्यात्मिक सभा को बराबर यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार सभी क्षेत्रों में रिपोर्ट, समाचार और सूचनायें समान रूप से भेजी जायें। राष्ट्रीय सभा के प्रशासनिक पक्ष के लिये एक समान सामग्रियाँ उन सभी क्षेत्रों में वितरित की जानी चाहिये जहाँ सहभोज सभा का आयोजन किया जाना है, खासतौर से अगर किसी खास विषय पर परामर्श किया जाना है। आध्यात्मिक सभा को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक क्षेत्र में परामर्श रचनात्मक तरीके से किये जायें जिनके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रतिनिधियों के सुझाव-विचार आध्यात्मिक सभा तक पहुँच सकें और सुझाव-विचारों के प्रति आध्यात्मिक सभा का प्रत्युत्तर प्रेमपूर्ण तथा रचनात्मक परिणाम देने वाले हों। इस काम के लिये स्थानीय आध्यात्मिक सभा सहभोज सभा के लिये अध्यक्ष भी मनोनीत कर सकती है, जो परामर्श के परिणामों को सही-सही लिख सकें और कोष में दान प्राप्त कर सकें।

**भाषा का चुनाव**

सामान्य सिद्धांत के अनुसार उन्नीस दिवसीय सहभोज सभाओं और अन्य बैठकों की कार्यवाही का संचालन उस क्षेत्र में पारम्परिक रूप से बोली जाने वाली भाषा में किया जाना चाहिये। लेकिन दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं। यह मान लेना अतार्किक नहीं होगा कि अधिक-से-अधिक लोग शहरी इलाकों में आकर बसते रहते हैं और उनके अपने छोटे-छोटे भाषायी समूह बन जाते हैं। उदाहरण के लिये स्पैनिश बोलने वाले लोगों का जमावड़ा उत्तरी अमेरिका में अथवा अफ्रीका के आदिवासी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब सहभोज सभा का विकेन्द्रीकरण होता है तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस छोटे से भाषायी समूह की भाषा में सहभोज सभा का संचालन किया जाये जो वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित हैं अथवा स्थानीय भाषा में। अभी इस विषय पर न्याय मन्दिर कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता और इसका निर्णय स्थानीय आध्यात्मिक सभा के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा से मार्गनिर्देश प्राप्त कर इस सम्बन्ध में निर्णय लेती है ताकि लचीलापन भी बना रहे और सीखने की प्रवृत्ति भी।

सहभोज सभा एक स्थान पर आयोजित की जाये या अनेक स्थानों पर, स्थानीय आध्यात्मिक सभा तो स्वाभाविक रूप से यह चाहेगी कि सभी मित्र यह अनुभव करें कि वे एक सम्मिलित समुदाय के भाग हैं, चाहे उनके बीच भाषायी विविधता कितनी भी क्यों न हो और यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठायेगी कि एक ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी समान रूप से हिस्सा ले सकें। इस उद्देश्य को पाने के लिये पवित्र लेखों से पाठों का जो चुनाव किया जाये वह विभिन्न भाषाओं में हो। इसके अलावा, जो अनुयायी सहभोज के संचालन के लिये प्रयोग की जा रही भाषा से अच्छी तरह परिचित नहीं हों उन्हें प्रमुख संदेशों और सूचनाओं को उनकी अपनी भाषा में भी देने की व्यवस्था स्थानीय आध्यात्मिक सभा की ओर से की जानी चाहिये। परामर्श के दौरान अगर आवश्यक हो तो उन्हें अपनी भाषा में अपने विचार रखने के अवसर दिये जाने चाहिये। बैठक के संचालन को सुरूचिपूर्ण और बिना किसी बाधा के बनाये रखते हुये आवश्यकता पड़ने पर अनुवाद की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

**वैसे लोगों की उपस्थिति जो बहाई नहीं हैं**

उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा प्रभुधर्म की एक ऐसी संस्था है जो बहाई समुदाय को अपने विभिन्न मसलों पर खुलकर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है और जो इस प्रकार के बहाई परामर्श से अनभिज्ञ होते हैं उनके बीच ऐसे विचार-विमर्श से कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। यही कारण है कि बहाई समुदाय के सदस्यों के बीच ही परामर्श में प्रतिभागिता सीमित होती है।

सामान्यतः अनुयायियों से यह उम्मीद की जाती है कि सहभोज सभा में वैसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाये जो बहाई नहीं हैं। फिर भी, प्रभुधर्म के मित्र अचानक आ जाते हैं और उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। शिष्टाचार और बंधुत्व की भावना यह माँग करती है कि उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाये। इस विचार से अनपेक्षित आगन्तुकों का, जो पहले कभी-कभी आते रहे हैं, भक्तिपरक भाग और सामाजिक सम्मिलन वाले भाग में स्वागत किया जाना चाहिये, लेकिन प्रशासनिक हिस्से में या तो उनसे अनुपस्थित रहने का आग्रह किया जाना चाहिये अथवा कार्यक्रम का वह हिस्सा पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिये।

अब जब कि योजना की कार्यविधि का ढाँचा अनेक जगहों में पूरी तरह स्थापित हो चुका है, बहुत सारे लोग मूल गतिविधियों के माध्यम से बहाई सामुदायिक जीवन के बहुत करीब आने लगे हैं और इस बात की अधिक सम्भावना है कि जो प्रभुधर्म के करीब आ चुके हैं वे उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा के बारे में जानें और ऐसे आयोजनों में आ जायें। विश्व न्याय मन्दिर ने निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक भाग को पूरी तरह रद्द किये बगैर या फिर मित्रों को अनुपस्थित रहने के लिये आग्रह किये बगैर, जो सहभोज सभा का संचालन कर रहे हों उन्हें चाहिये कि इस हिस्से में थोड़ा फेर-बदल कर मेहमानों को उपस्थित रहने दें। स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को देना तथा विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की सूचना देना तथा सामान्य रूचि के विषयों पर परामर्श करना, जैसे प्रभुधर्म का संदेश देना, सेवा सम्बन्धी योजनाओं की सूचना देना, कोष की स्थिति बतलाना आदि जारी रखा जाये और संवेदनशील तथा समस्यामूलक विषयों को किसी अन्य अवसर पर परामर्श के लिये छोड़ देना चाहिये जब मित्रगण स्वतंत्र होकर और खुलकर उन विषयों पर परामर्श कर सकते हों।

प्रशासनिक भाग के प्रति इसी प्रकार की एक और पहुँच तब की जा सकती है जब सहभोज सभा का आयोजन किसी ऐसे बहाई मित्र के घर में किया गया हो जिनके परिवार के अन्य सदस्य बहाई नहीं हैं। ऐसे अवसरों की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि आतिथ्य सत्कार समुचित ढंग से हो, परस्पर प्रेम का वातावरण बने और महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषयों पर समरसता बनाये रखते हुए निर्बाध गति से परामर्श किया जा सके। स्थानीय आध्यात्मिक सभा को चाहिये कि वैसे अनुयायियों के साथ परामर्श करते वक्त, जिनके परिवार के अन्य सदस्य बहाई नहीं हैं, ऐसे उपाय करने की कोशिश की जाये जो संतोषप्रद हों।

**बढ़ते अनुभव**

आने वाले वर्षों में विशालतर होते बहाई समुदाय के सामने निश्चित रूप से ऐसी अनेक चुनौतियाँ आयेंगी और हमारे सामने एक सवाल खड़ा होगा कि विविधतामूलक क्षेत्रों में उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा के भक्तिपरक, प्रशासनिक और सामाजिक भागों का संचालन किस प्रकार किया जाये। ऐसी चुनौतियों का सामना स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को करना होगा। यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपने समुदायों की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति वे सजग रहें, विविध आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिये मित्रों के साथ विवेकपूर्ण विचारविमर्श करें और मौलिक सिद्धांतों से समझौता किये बगैर अपनी नीतियों में लचीलापन बरतें। इस सम्बन्ध में स्वाभाविक है कि वे सहायक मंडल सदस्यों से सलाह-मशवरा करें। सलाहकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभायें इस दिशा में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखेंगी, विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये कदमों के बारे में जानेंगी और कालान्तर में कौन-सी पहुँच प्रभावी सिद्ध होती है उस सम्बन्ध में निर्णय लेने में स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को समुचित मार्गनिर्देश देंगी तथा प्रोत्साहन प्रदान करेंगी।

पवित्र समाधियों पर विश्व न्याय मन्दिर की विनम्र प्रार्थना के लिये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरे विश्व में प्रभुधर्म के प्रसार के लिये मित्रों द्वारा अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने के लिये किये जा रहे प्रयासों को आशीर्वादित सौन्दर्य के आशीष प्राप्त हो सकें।

प्रेमपूर्ण बहाई अभिनन्दन के साथ

सचिवालय प्रभाग

प्रतिलिपि : अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र

 सलाहकारों का बोर्ड

 सलाहकारगण